झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

विषयः—केन्द्र प्रायोजित योजना अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) के अंतर्गत 14802.59 लाख रु० की लागत पर स्वीकृत धनबाद शहरी जलापूर्ति परियोजना (फेज–1) की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

3666
17/07/18

नगर विकास एवं आवास विभाग 74वें संविधान संशोधन के आलोक में नागरिकों को मौलिक/बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्प है। इस क्रम में धनबाद शहरी जलापूर्ति परियोजना का सूत्रण किया गया है। परियोजना के चरणवार क्रियान्वयन के निमित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन को दो चरणों (फेज–1 एवं फेज–2) में तैयार किया गया है। परियोजना के फेज–1 के अंतर्गत मुख्यतः कतरास क्षेत्र (वार्ड संख्या 1–13) तथा फेज–2 के अंतर्गत सिंदरी एवं धनबाद मुख्य शहर में योजना का क्रियान्वयन प्रस्तावित है। धनबाद जलापूर्ति योजना को दो चरणों में विभक्त करने का प्रमुख कारण अलग स्त्रोतों से प्रस्तावित वित्तपोषण एवं भूमि की सुलभ उपलब्धता है। वर्तमान परिस्थिति में कतरास क्षेत्र में जलापूर्ति एक गंभीर समस्या है जिसके ससमय निराकरण हेतु इस क्षेत्र को फेज–1 में प्रस्तावित है।

2. धनबाद जलापूर्ति परियोजना (फेज–1) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अमृत योजना अंतर्गत स्वीकृत की गई है। इस हेतु तैयार किये गये विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की प्राक्कलित राशि 14802.59 लाख (एक सौ अड़तालीस करोड़ दो लाख उनसठ हजार) रूपये को विभागीय तकनीकी कोषांग द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है, तत्पश्चात् अमृत योजना अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (SLTC) द्वारा उक्त योजना को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

3. फेज–1 में समुचित वितरण व्यवस्था तथा जलमीनार के कार्यों को पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है ताकि प्रस्तावित क्षेत्र में शत प्रतिशत Network Coverage हो वरण Water Pressure की समस्या का समुचित समाधान भी संभव हो सके। फेज–2 में दो WTP तथा 25 नए जलमीनारों का निर्माण प्रस्तावित है।

4. धनबाद जलापूर्ति परियोजना फेज–1 के अंतर्गत प्रस्तावित क्षेत्र के लगभग 64770 घरों के विरुद्ध वर्तमान में सिर्फ 9525 घरों में ही जलापूर्ति कनेक्शन उपलब्ध है। प्रस्तावित क्षेत्र में समुचित वितरण व्यवस्था (Distribution Network) की अनुपलब्धता के कारण शेष घरों तक जलापूर्ति कनेक्शन उपलब्ध करा पाना वर्तमान परिस्थिति में संभव नहीं है।

5. प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र हेतु वर्तमान में कार्यरत जलापूर्ति व्यवस्था के तहत अधिष्ठापित तोपचाँची झील पर अवस्थित 13.50 MLD, जमुनिया में स्थापित 35.40 MLD, जामाडोबा के 143.50 MLD के Water Treatment Plant (WTP) का उपयोग प्रस्तावित है। यह WTP प्रस्तावित क्षेत्र के वर्ष 2050 तक की माँग (89.16 MLD) को पूर्ण करने में सक्षम हैं।

6. प्रस्तावित परियोजना में अपर्याप्त वितरण व्यवस्था (Distribution Network) के कारण उत्पन्न कठिनाईयों के निराकरण एवं भविष्य के मांग को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2050 तक की योजना के अनुसार Network Design तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न क्षमता वाले कुल 8 नए जल–मिनारों (ELSRs) का निर्माण प्रस्तावित है साथ ही पूर्व में निर्मित 11 जलमिनारों से भी जलापूर्ति सुनिश्चित करने का प्रावधान किया जाएगा।

7. इस परियोजना के अंतर्गत आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित सभी Service Level Benchmarks को ध्यान में रखा गया है एवं भविष्य के मांग के आधार पर 24×7 जलापूर्ति व्यवस्था का प्रावधान किया जाएगा।

8. इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु अमृत योजनांतर्गत प्रस्तावित जलापूर्ति परियोजनाओं के लिए मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृत किए गए Model Bid Document का उपयोग किया जाएगा।

3666
17/07/18

9. इस परियोजना के प्रस्तावित अवयव निम्नलिखित है :–

Components	Details
Rising Main & Gravity Main to Feed 8 nos. of New ESRs	165.1 KM (Gravity Main 10.4 KM and Rising Main 154.7 KM)
ESRs to be constructed (8 Nos)	1.8 ML – 2 No., 2.10 ML - 1 No, 1.3 ML – 1 No, 1.7 ML – 1 Nos, 2.45 ML – 1 Nos, 2.4 ML – 1 No, 2.05 ML – 1 No,
Distribution System	Total Length (Existing + Proposed) - 445.04 KM (100% coverage)
House connection & consumer Metering	100% coverage of proposed area (55245 Connection)

10. मुख्य अभियंता, तकनीकी कोषांग के द्वारा प्रस्तावित परियोजना को निम्नवत् स्वीकृति प्रदान की गई है :–

Sl. No.	Item Description	Total Amount (Rs. in Lakhs)
1	Estimate of Rising Main & Gravity Main to Feed 8 nos. of New ESRs	1,828.44
2	Estimate of Distribution System (19 sub zones)	7,270.79
3	Estimate of Elevated Service Reservoirs (8 Nos)	1,068.24
4	Estimate of NH-32 at 4 Locations	26.82
5	House Service Connection with meter (55245 nos.)	2,297.64
6	Compound Wall with Gate for 8 nos. of Prop. ESR	50.39
7	Approach Road for 8 nos. of Prop. ESR	11.27
8	EMP and Environmental Monitoring	73.30
	Total (A)	**12,626.89**
9	Labour Cess @ 1% on (A)	126.27
10	JUIDCO Charges as per circular dt. 14.12.2016 on (A) (योजना–सह–वित्त विभाग के संकल्प सं. 3201 दिनांक 04.11.2016 के अनुसार)	546.27
11	DPR Consultancy Charges @ 0.97% on (A)	122.48
12	PMC Charges @ 2.06% on (A)	260.11
13	Provision for Railway Crossing	490.00
	Total (B)	**1,545.13**
	Total CAPEX (A+B)	**14,172.02**
5 YEARS EXPENDITURE IN OPERATION & MAINTENANCE (O& M)		
14	O& M for 1st year excluding annual repair charges.	60.10
15	O&M for 2nd year (As per item No. 16 + 10% of item No. 16) Including annual repair charges	122.92
16	O & M for 3rd year (As per item No. 17 + 10% of item No. 17)	135.21
17	O & M for 4th year (As per item No. 18 + 10% of item No. 18)	148.73
18	O & M for 5th year (As per item No. 19 + 10% of item No. 19)	163.61
	Total OPEX (C)	**630.57**
	Total Project Cost (A+B+C)	**14,802.59**

11. उपरोक्त तालिका के अनुसार प्रस्तावित परियोजना की लागत राशि (CAPEX) 14172.02 लाख रु० है एवं रख–रखाव की राशि (OPEX) 630.57 लाख रु० है। अमृत योजना के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के लागत राशि (CAPEX) का वित्तपोषण निम्नलिखित स्रोतों से होगा :–

(Amount in Lakhs)

Name of Project	Approved Project Cost (CAPEX)	Central Share	State Share	ULB Share		Additional State Share
				14th F.C.	Others	
Dhanbad Water Supply Scheme	14172.02	2570.00	3084.00	1644.80	411.20	6462.02

12. परियोजना की लागत राशि (CAPEX) में 2570.00 लाख रु० "शहरी पुनर्रुत्थान मिशन (केन्द्रांश)", 3084.00 लाख रु० "शहरी पुनर्रुत्थान मिशन (राज्यांश)", निकाय अंश के रूप मे देय कुल 2056.00 लाख रु० का 80% 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत उपलब्ध निधि से किया जायेगा एवं शेष 20% राज्य सरकार द्वारा "शहरी पुनर्रुत्थान मिशन (राज्यांश)" अंतर्गत कर्णांकित राशि से देय होगा। परियोजना के लागत की अधिशेष राशि 6462.02 लाख रु० का वहन "अतिरिक्त राज्यांश" के रूप में किया जाएगा।

13. उपर्युक्त कंडिका–17 में अंकित "अतिरिक्त राज्यांश" के 6462.02 लाख रु० एवं परियोजना के रख–रखाव में (5 वर्षों के लिए) व्यय होने वाली राशि (OPEX) 630.57 लाख रु० का वहन राज्य योजना अंतर्गत शहरी जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सिवरेज एवं ड्रेनेज, नगरीय आधारभूत संरचनाएँ, आवास आदि शहरी योजनाएँ मद *मुख्य शीर्ष–2217–शहरी विकास, लघु शीर्ष–191–नगर निगम को सहायता, उप शीर्ष–94–शहरी जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सिवरेज एवं ड्रेनेज, नगरीय आधारभूत संरचनाएँ, आवास आदि शहरी योजनाएँ, विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान, 79–सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)* से होगा।

3666
17/07/18

14. आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त निदेश के आलोक में अमृत अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं हेतु प्राप्त केन्द्रांश एवं आवश्यक राज्यांश की राशि राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) के अंतर्गत अमृत योजना के पृथक बैंक खाते में संधारित किया जाना है। योजना–सह–वित्त विभाग से अनुमोदनोपरांत राज्य शहरी विकास अभिकरण के अंतर्गत अमृत परियोजनाओं हेतु एक पृथक बैंक खाता संधारित किया गया है, जिसमें परियोजनाओं हेतु निर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि संधारित है। अतः उपर्युक्त परियोजना का क्रियान्वयन करने वाली संस्था को नियमानुसार राशि का आवंटन राज्य शहरी विकास अभिकरण के स्तर से किया जायेगा।

15. अमृत योजना के दिशा–निर्देशिका की कंडिका–5 के उपकंडिका–5.1 के अनुसार प्रस्तावित परियोजना के DPR में रख–रखाव (Operation & Maintenance) की तय समय–सीमा 5 वर्ष निर्धारित है। परियोजना के रख–रखाव हेतु निर्धारित 5 वर्ष की समय–सीमा के लिए एक कार्य योजना (O&M Plan) तैयार की गई है, जिसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :–

- क) रख–रखाव हेतु चयनित संस्था की वांछित योग्यता का निर्धारण किया जायेगा।
- ख) गुणवत्ता एवं निर्बाध सेवा को ध्यान में रखते हुए मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं, जिनके आधार पर उक्त कार्य हेतु चयनित संवेदक के भुगतान का आकलन होगा।
- ग) रख–रखाव अवधि के दौरान संवेदक द्वारा मीटर रिडींग कर निकाय के द्वारा निर्धारित किए गए जल उपभोग शुल्क (Water User Chages) के अनुसार नवीनतम तकनीकों (E-mail, SMS आदि) का प्रयोग करते हुए सभी उपभोक्ताओं को विपत्र उपलब्ध कराया जायेगा। निकाय अथवा निकाय द्वारा राजस्व/कर संग्रहण करने हेतु चयनित संस्था के माध्यम से उपभोक्ताओं द्वारा इस विपत्र के विरुद्ध भुगतान किया जायेगा।
- घ) संवेदक को रख–रखाव के विरुद्ध राशि का भुगतान परियोजना के निविदा दस्तावेज में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

16. उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

- क) धनबाद जलापूर्ति योजना (फेज–1) की कुल लागत राशि 14172.02 लाख रु० एवं रख–रखाव की राशि 630.57 लाख रु० मिलाकर कुल परियोजना लागत 14802.59 लाख रु० पर प्रशासनिक स्वीकृति।
- ख) उपरोक्त कंडिका 8 में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार पूर्व में अनुमोदित किए गए Model Bid Document के उपयोग की स्वीकृति।
- ग) उपरोक्त कंडिका 11–13 में वर्णित परियोजना के वित्तपोषण प्रस्ताव पर स्वीकृति।

17. संदर्भित प्रस्ताव पर योजना प्राधिकृत समिति का अनुमोदन इस शर्त के साथ प्राप्त है कि निविदा के पूर्व भूमि की उपलब्धता यथासंभव सुनिश्चित कर ली जाये। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा योजना प्राधिकृत समिति के उपर्युक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

18. प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक 03.07.2018 को संपन्न बैठक में मद संख्या 16 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राज्य के असाधारण राज्य पत्र में प्रकाशित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–SUDA/AMRUT/ धनबाद जलापूर्ति परियोजना–115/2017......3666...... राँची, दिनांक–...17/07/18

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं राजकीय गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– SUDA/AMRUT/ धनबाद जलापूर्ति परियोजना–115/2017......3666...... राँची, दिनांक–...17/07/18

प्रतिलिपि– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी अपर मुख्य सचिव, सभी प्रधान सचिव, सभी सचिव, झारखण्ड/निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/सभी संयुक्त सचिव, सभी उप सचिव, सभी अवर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/आयुक्त, आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग/उपायुक्त, धनबाद/नगर आयुक्त, धनबाद नगर निगम/परियोजना निदेशक (तकनीकी), जुडको लि॰ को सूचनार्थ/श्री कुणाल कुमार, विभागीय वेब मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।